पुलिस आदेश सं० २४५/९४

विषय : धारा ३०७ भा० द० वि० के उपयोग के सम्बन्ध में।

ऐसे अनेक दृष्टांत मिले हैं जिसमें थाना प्रभारी के स्तर से प्राथमिकी अंकित करते समय धारा ३२३ भा० द०वि० के कांड को संज्ञेय रूप देने के लिये और धारा ३२४ भा०द०वि० आदि के कांड को गुरुतर और गंभीर बनाने के लिये धारा ३०७ भा० द० वि० जोड़ दिया जाता है ताकि जमानत देने की सुविधा समाप्त हो जाये। यह धारा ३०७ भा०द०वि० का दुरुपयोग ही कहा जायेगा। भारतीय दण्ड विधान की धाराओं का इस प्रकार गलत ढंग से प्रयोग किया जाना अवांछनीय है और इस बढ़ती कुप्रवृति पर उच्चाधिकारियों का कड़ा नियंत्रण अपेक्षित है।

२. अतः यह आदेश दिया जाता है कि धारा ३०७ भा० द० वि० के सभी कांड विशेष प्रतिवेदित होंगे और इनके अनुसंधान का नियंत्रण आरक्षी अधीक्षक विधिवत करेंगे। ऐसे कांडों का पर्यवेक्षण विधिवत आरक्षी उपाधीक्षक, अपर आरक्षी अधीक्षक या आरक्षी अधीक्षक द्वारा अविलम्ब किया जायेगा और विशेष प्रतिवेदन दो एक पक्ष के अन्दर निर्गत किया जायेगा।

३. ऐसे कांडों के पर्यवेक्षण के क्रम में पर्यवेक्षण पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस विन्दु पर भी जांच करें कि इस धारा का दुरुपयोग जानबुझकर तो नहीं किया गया। वह अपने पर्यवेक्षण में इस विन्दु पर स्पष्ट अभ्युक्ति देंगे कि थाना प्रभारी द्वारा इस धारा का उपयोग सही दिशा में कदम था कि नहीं, और उनके द्वारा इस धारा का जानबुझकर दुरुपयोग करने का कोई प्रयास तो नहीं किया गया।

विजय जैन

(विजय जैन)
महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ३०७२/एक्स० एल० महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना, दिनांक १४-६-९४
एक्स० एल० (ज०) ९२-९४

प्रतिलिपि :—१. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

२. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरोक्षक (रेलवे सहित)/सभी क्षेत्रीय उप-महानिरोक्षक (रेलवे सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

३. आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/आरक्षी महानिरोक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

४. प्रशाखा पदाधिकारी, पी-१, कृपया पुलिस आदेश वाली फाईल में रखें।

विजय जैन

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना।